

## सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के नरिणय पर अंतरमि रोक लगाने से कथिा इनकार

### चरचा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने पटना उच्च न्यायालय के उस नरिणय पर रोक लगाने से इनकार कर दथिा, जसिमें बहिरा में [अनुसूचति जाति/अनुसूचति जनजाति, पछिड़ा वर्ग](#) और अत्यंत पछिड़ा वर्ग के लथिि लोक नथिोजन तथा शैक्षणकि संस्थानों में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के नरिणय को रद्द कर दथिा गया था ।

### मुख्य बढि

- पटना उच्च न्यायालय ने बहिरा में संशोधति [आरक्षण कानून](#) को रद्द कर दथिा, जसिके तहत दलतिों, आदवासिथिों और पछिड़े वर्गों के लथिि कोटा 50% से बढ़ाकर 65% कर दथिा गया था । न्यायालय ने संशोधनों को संवधिन के "[अधकिारातीत](#)" (Ultra Vires), "वधिकि दृष्टि से दोषपूर्ण" (Bad in Law) और "समता खंड का उल्लंघन" करार दथिा ।
  - ये संशोधन एक जाति सर्वेक्षण के बाद कथिि गए थे, जसिमें अन्य पछिड़ा वर्ग और अत्यंत पछिड़ा वर्ग का प्रतशित राज्य की कुल जनसंख्या का 63% था जबकि अनुसूचति जाति एवं अनुसूचति जनजाति का प्रतशित 21% से अधकि था ।
- आरक्षण [कोटा](#) बढ़ाए जाने के बाद, आर्थकि रूप से कमज़ोर वर्गों के लथिि आरक्षण सहति राज्य में कुल 75% सीटें आरक्षति हुई ।

### आरक्षण

- [आरक्षण](#), नश्चयातमक वभिद का एक रूप है, जसिं हाशियाई वर्गों में समता को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजकि तथा दीर्घकालकि अन्याय से संरक्षण प्रदान करने के लथिि नरिपति कथिा गया है ।
- यह रोज़गार और शकिषा तक पहुँच में समाज के हाशियाई वर्गों को अधमिनी सुवधि प्रदान करता है ।
- इसे मूल रूप से वर्षों जारी भेदभाव को समाप्त करने और वंचति समूहों को बढ़ावा देने के लथिि वकिसति कथिा गया था ।